पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ और क्रियान्विति

मीना श्रृंगी
शोधार्थी
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा

सारांश

भारत में पंचायती राज प्रणाली दुनिया में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अनोखा और एकदम नायाब उदाहरण है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होता है। हमारी ग्रामीण आबादी का करीब आधा हिस्सा महिलाओं का है। ये लोग पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण घटक है। 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद पंचायतों में उनकी वास्तविक भागीदारी एक ऐसा लक्ष्य बना हुआ है जो पूरा नहीं हो पाया है। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही है जो किसी न किसी रूप से पंचायतों से ही जुड़ी हुई है और महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व राजनैतिक उत्थान में पूर्ण सहायक है।

मुख्य शब्द : सशक्तिकरण, महिलाएँ, पंचायती राज योजनाएँ, क्रियान्विति, सामाजिक।

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि "जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक इस दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।" यह कथन आज भी उतना ही सत्य है और अवसर मिलने पर आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने तमाम सीमाओं, बंधनों के बावजूद सराहनीय काम किया है।

भारतीय संविधान द्वारा महिला–पुरुष को समान माना गया है, परन्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही महिलाओं को दोयम दर्जे से आँका जाता है। हर क्षेत्र में महिला पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है घर–गृहस्थी के कार्य से लेकर कृषि, व्यवसाय, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 70 से 80 फीसदी कृषि कार्य आज महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कृषि श्रम में उनकी भागीदारी 66 प्रतिशत है पर समाज आज भी महिलाओं को किसान के रूप में नहीं देखता। घर–समाज में जब महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, उनमें भी महिलाओं की भागीदारी कम ही रहती है।

अतः महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु कायान्वित है, ताकि वे सशक्त बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व उनकी क्रियान्विति के स्वरूप को जानने का प्रयास किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार,"मैं एक समुदाय की प्रगति का पैमाना महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति को मानता हूँ।"

आज विश्व प्रगति की राह पर कामयाबी के नित नए मुकाम को छू रहा है, हमने लगातार गरीबी को घटते देखा है, शिक्षा का स्तर बढ़ते देखा है। हालांकि यह प्रगति असमान है, समाज में आज भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं और कई मामलों में पहले से ज्यादा विषम हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर ग्रामीण महिलाएँ इस प्रगति से आज भी अपने जीवन को इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को मुख्य धारा से जोड़ने में रूकावट महसूस करती है। अतः इस शोध का प्रमुख उद्देश्य इस रूकावट को दूर करने हेतु सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं के बारे में जानकर उनकी सफल क्रियान्विति की ओर ध्यान केन्द्रित करना है।

भारत में सामाजिक, आर्थिक विकास की वृहद् प्रक्रिया के संदर्भ में ग्रामीण महिला की स्थिति को सुधारने के लिए इन योजनाओं के प्रशिक्षण

कार्यक्रमों में समय–समय पर बदलाव की आवश्यकता है। ताकि नवीन परिवर्तनों के साथ और प्रभावी रूप से इन्हें लागू किया जा सके।

साहित्यावलोकन

शर्मा, रेखा, "ग्रामीण महिलायें एवं पंचायती राज" 2012 में उल्लेखित है कि सरकार ने गरीबी के श्राप को दूर करने हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गहिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। कई महिला संगठनों के साथ रोजगार की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए गए हैं।

नायक, अशोक, द्विवेदी हर्षित, "पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिता" 2013 में पंचायती राज एवं महिलाएँ : महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समन्वयात्मक दृष्टिकोण, निष्कर्ष एवं सुझाव का विस्तृत विवरण दिया गया है।

श्रीवास्तव, राकेश, "ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण : आगे की राह" जनवरी 2018 में ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं–चाहे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हो, का प्रभावी सम्मिलन आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराया जाए। उन्हें जागरूक बनाया जाए कि एक उज्ज्वल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, उनका मार्गदर्शन व पोषण किया जाए।

डॉ. सीमा, "कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएँ" कुरूक्षेत्र 2017 में स्किल इंडिया पहल के माध्यम से महिलाओं को गैर–पारंपरिक भूमिकाओं से जोड़ने पर बल दिया गया है, जिसमें उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जा सके। महिलाओं के संदर्भ में इस मिशन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने के साथ ही आरक्षण के माध्यम से कौशल विकास को सुनिश्चित करना है।

पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ

महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई योजनाएँ निम्न हैं :–

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

1. बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी।
2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
3. इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ–साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

वन स्टॉप सेंटर स्कीम

यह योजना 1 अप्रैल 2015 को "निर्भया" फंड के साथ लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग–अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएँ देने का काम किया जाता है। ग्रामीण महिलाएँ भी इसका लाभ ले सकती हैं।

वर्किंग वूमन हॉस्टल

इस योजना का उद्देश्य है काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना। जहाँ उन उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा और जरूरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। यह योजना शहरों, कस्बों और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध है जहाँ पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

योजना का उद्देश्य उन स्किल्स को प्रदान करना है, जो महिलाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं और दक्षता और कौशल प्रदान करते हैं। साथ ही जो महिलाओं को स्व–रोजगार/उद्यमी बनने में सक्षम बनाती है। क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरी आदि हस्तशिल्प, कम्प्यूटर और आई. टी. कार्यस्थल के लिए सॉफ्ट स्किल और कौशल जैसे कथित अंग्रेजी रत्न, आभूषण, यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य जैसे कार्यों के लिए सेवाएँ प्रदान करती हैं।

महिला शक्ति केंद्र योजना

यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उब्रेला स्कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में संचालित की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर व जिला स्तर पर काम करती है।

महिला ई–हाट

इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रख कर ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है, जिसके माध्यम से महिलाएँ अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती हैं। मंत्रालय ने इस योजना का नाम महिला ई–हाट दिया है।

उज्जवला योजना

यह योजना माननीय प्रधानमंत्री ने मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत नवम्बर 2017 तक लगभग 712 जिलों में करीब 3.2 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन दिए जा चुके हैं। एलपीजी को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से ग्रामीण महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है। स्वास्थ्य सुधार के रूप में और खाना पकाने में लगने वाला समय घटने के कारण अधिक आर्थिक उत्पादकता के रूप में उनकी आजीविका बेहतर हुई है।

प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना

एलपीजी पंचायत योजना का उद्देश्य एलपीजी उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना है कि कैसे साफ ईंधन और इससे जुड़े लाभों को उठाया जा सकता है। यह पारंपरिक ईंधन के उपयोग के लाभों पर व्यक्तिगत अनुभवों को बाँटने के माध्यम से चर्चा को और प्रभावी बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा।

इसका उद्देश्य उज्जवला योजना के लाभार्थियों के साथ जुड़ने का है, ताकि तेल के सार्वजनिक उपक्रमों, गैर–सरकारी संगठनों, आशा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारियों के माध्यम से लोगों में परंपरागत तौर पर पहले से मौजूद गलत धारणाओं को दूर किया जा सके। इसके तहत देशभर में एक लाख एलपीजी पंचायतों को सक्रिय किया जाएगा ताकि एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। इसके साथ ही पर्यावरण, स्वास्थ्य पर इसके विभिन्न लाभों पर भी बातचीत होगी। एलपीजी पंचायत के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा होगी।

पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल 2017 को देशभर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉड्यूल शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गाँवों के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत 5000 रूपये का नकद प्रोत्साहन परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे अंतरित किया जाता है, बशर्ते वे मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी उनकी विशिष्ट शर्तों को पूरा करती हो। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त होगा ताकि एक महिला को औसतन 6000 रूपये मिलें।

योजना का उद्देश्य

नकद प्रोत्साहन के जरिए मजदूरी हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना है, जिससे कि महिला बच्चे को जन्म देने से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। उपलब्ध कराए गए नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पी.डब्ल्यू. एंड एल.एम.) के बीच बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

प्रसूती अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया

कामकाजी महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संसद ने 9 मार्च 2017 को प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया। इस विधेयक के जरिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक उपाय शामिल किए गए, जैसे –

1. कामकाजी महिलाओं के लिए प्रथम दो बच्चों तक प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
2. 2 बच्चों के बाद प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह का जारी रहेगा।
3. 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश उन माताओं को भी मिलेगा जो 3 महीने से कम आयु का शिशु गोद लेती हैं।

दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन का गठन किया गया है

इस योजना के तहत "स्वयं सहायता समूह" के जरिए महिलाओं को इकट्ठा कर एक समूह का रूप दिया गया है, जहाँ वह अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े मुद्दों को संगठित स्वर देती है। यह समूह "गरीबों के लिए, गरीबों का" की तर्ज पर कार्य करता है। संभवतः महिलाओं से संबंधित गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य में यह विश्व की सबसे बड़ी पहल है, जिसका लक्ष्य 70 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू – जीकेवाई)

डीडीयू–जीकेवाई परियोजना के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को उच्च गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत 25696 रूपये प्रति व्यक्ति से एक लाख रूपये तक के प्लेसमेंट से जुड़े स्किलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए धन मुहैया कराया जाता है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। स्थांतरण सहायता केंद्र की स्थापना कर विस्थापित महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है।

स्वधार गृह

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए 2002 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वधार योजना शुरू की। यह योजना अपेक्षाकृत महिलाओं/लड़कियों की जरूरत के मुताबिक आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल प्रदान करती है। लाभार्थियों में उनके परिवारों और रिश्तेदारों, जेल से रिहा महिला कैदियों और बिना पारिवारिक सहायता, प्राकृतिक आपदाओं में बची महिलाओं, आतंकवादी/अतिवादी हिंसा आदि से पीड़ित विधवा महिलाएँ शामिल हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या योजना एक अच्छी स्कीम है। इस योजना पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। इस पर वर्तमान में 8.1 फीसदी सालाना का ब्याज मिल रहा है। बेटी के 21 साल के होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसमें प्रशिक्षित कुल लोगों में आधे से ज्यादा महिलाएँ हैं, क्योंकि स्कूली शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं को नए कौशलों और डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित करना भी समय की माँग है। तभी वे खेती से बाहर अन्य व्यवसायों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी। सरकार इस दिशा में पूरी तरह सजग है।

इसी तरह प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार कर रहा है। यह साक्षरता महिलाओं को सामाजिक –राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाएगी।

निष्कर्ष

आजादी के 71 वर्षों के बाद भी आज भी गाँव जमीनी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं से महरूम हैं। विकास की इस व्यापक अवधारणा में स्वतंत्रता के बाद से ही विविध योजनाओं के माध्यम से प्रयास किये जाते रहे, उसमें महिलाओं के उत्थान के लिए सम्मिलित योजनाएँ भी रही, किन्तु यथेष्ट परिणामों का अभाव ही रहा।

इन योजनाओं की क्रियान्विति में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है –

1. शिक्षा का निम्न स्तर – ग्रामीण महिलाओं के सामने मुख्य समस्या उनकी शैक्षिक प्राप्ति का निम्न स्तर है जिससे वे योजनाओं के बारे में पूर्णतया जानकारी ग्रहण नहीं कर पाती और पूरा लाभ लेने से चूक जाती हैं।
2. शिक्षा सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकों का प्रसार करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों में तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करती है।
3. प्रौद्योगिकियों तक ठीक पहुँच न होना – सरकारी योजनाओं, कृषि विस्तार कार्यक्रमों के जरिए अनुकूल प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और सेवाओं की महिलाओं तक पहुँच ठीक नहीं है।
4. कृषि के बाहर आजीविका के अवसरों की कमी से महिलाओं की उदासीनता को दूर करने हेतु उचित निर्देशन व क्रियान्वयन की आवश्यकता।
5. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य का भी अभाव है।

अतः इन योजनाओं की सफल क्रियान्विति हेतु सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि महिलाओं में आत्मशक्ति के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे न केवल महिलाओं का कल्याण होगा बल्कि वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बन सकेंगी। एक सशक्त महिला न केवल स्वयं अपने लिए बल्कि वे समाज के समग्र विकास के लिए भी उपयोगी व महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति से ही पैदा होता है।

सशक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक दृष्टि से अपने विकास के संबंध में ठोस निर्णय लेने और प्रभावी गतिविधियों में शामिल होने के योग्य बनाती है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, जैसे –

1. निर्णय लेना
2. रूचियों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना
3. लक्ष्यों को स्पष्ट करना
4. कार्यक्रम योजनाओं को लागू करना
5. गतिविधियों पर निगरानी व ध्यान बनाए रखना
6. मूल्यांकन
7. भावी योजनाओं की कार्ययोजना बनाना।

सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की क्रियान्विति में अधिकारी, जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करें जिससे कार्य में पारदर्शिता के साथ लोगों में विश्वास भी जागृत होगा। इसके लिए सही तरीके से मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके अलावा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करें और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने में अधिकारी अपना उत्तरदायित्व निभाकर जनप्रतिनिधियों को भी भागीदार बनायें।

अतः स्पष्ट है इन योजनाओं के माध्यम से सरकार महिलाओं के उत्थान व सशक्तता प्रदान करने का भरसक प्रयास तो कर ही रही है परन्तु ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हो, का प्रभावी सम्मिलन आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना एक सतत प्रक्रिया है। समय की माँग है कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराया जाए, उनका भविष्य उज्जवल है, उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए, उनका मार्गदर्शन व पोषण किया जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *झा, सिद्धार्थ, "महिलाएँ और पंचायतें", कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018, पृ.सं. 36*
2. *डॉ. सीमा, "कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएँ", कुरूक्षेत्र, सितंबर 2017, पृ.सं. 44*
3. https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/ *government-schemes-for-women-empowerment-1482143835-2*
4. https://hindi.goodreturns.in/personal-finance/2018 02/*10-indian-government-schemes-women-empowerment*
5. *राय राजनाथ, मुबारक शफकत, "खोज बदलती ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी", कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018, पृ.सं. 25–26*
6. *डॉ. सीमा, "कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएँ", कुरूक्षेत्र, सितंबर 2017, पृ.सं. 46*
7. *https://www.punjabkesari.in/business/news/these-special-plans-of-pm-modi-for-women-765808*
8. *शर्मा, रेखा, "ग्रामीण महिलायें एवं पंचायती राज", रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 119*
9. *नायक, डॉ. अशोक, द्विवेदी, डॉ. हर्षित, "पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिता", पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2013, पृ.सं. 107*
10. *श्रीवास्तव, राकेश, "ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण : आगे की राह", कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018, पृ.सं. 9*